

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:- 3403 / 14-10-4 , लखनऊ, दिनांक 06 फरवरी, 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के कि०मी० 0.00 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्टर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/१८०/२०२३/एफ०सी०/५०१ दिनांक-०९.११.२०२३ एवं आपका पत्रांक-१२५७/११-सी-FP/UP/Road/146875/2021 दिनांक-०५.०२.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर ने आपत्तियों का निराकरण कर अपने पत्रांक-५२९०/१४-१ दिनांक-०६.०२.२०२४ द्वारा आख्या/अभिलेख प्रेषित किया गया है। जिसे ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार(ऑनलाइन)

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /

मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /

मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ